न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **42 / 2021** अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जुगताराम पुत्र उदाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. फोजाराम पुत्र अर्जनराम 2. जीवराज पुत्र अर्जनराम 3. गुलाराम पुत्र अर्जनराम 4. भीमाराम पुत्र अर्जनराम 5. सुआदेवी पत्नी दीनाराम 6. चम्पाराम पुत्र दीनाराम 7. श्रवणकुमार पुत्र दीनाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.12.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 598 रकबा 60.00 बीघा का आया हुआ है। जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई। उक्त सेढा को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर चीणों के टुकड़े व तारबंदी करके अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादी के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। वादी द्वारा जब प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो इससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी भी करवाई हुई है, जिसमें प्रतिवादीगण का अतिक्रमण होना बताया गया है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादी की खातेदारी में से कब्जा हटाने से इंकार कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी का वादी रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादी को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से मौका एवं [illegible] संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के नक्शे में अंकित [illegible] खसरा नम्बर 943 / 546 के खातेदारान् द्वारा टुकड़े रोपकर भूमि पर कब्जा किया हुआ पाया गया है। वादी साक्ष्य में साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:50:10 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को जब्त करते हुए कब्जा वादी को दिलवाने जाने का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के नक्शे में अंकित बरंग लाल अनुसार खसरा नम्बर 943/546 के खातेदारान् का कब्जा होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश कर वादी के खातेदारी खेत से प्रतिवादीगण का कब्जा व अतिक्रमण हटाने के लिए दावा पेश किया है। अतः उक्त स्थिति में वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादी अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 598 रकबा 60.00 बीघा में भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:50:10 IST
Reason: SelfAttested